प्रवासी सुरक्षा योजना	**महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) में नामांकन हेतु ऑफलाइन समाकलित आवेदन प्रपत्र -पेंशन और जीवन बीमा कोष-**	उपभोक्ता के हाल के रंगीन फोटो (3.5x2.5 सेमी) को चिपकाएं

सेवा प्रदाता द्वारा भरा जाना

□□□□□□□□□□□□□□□□ पीएलएफ संख्या

□□□□□□□□ नामांकन संख्या

पासपोर्ट की प्रति, बैंक संबंधी विवरण और तीन रंगीन फोटो आवश्यक है अन्यथा प्रपत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (केवल काली स्याही से)

***अनिवार्य रूप से भरा जाना**

मुख्य विवरण

1. पूरा नाम (जैसा कि पासपोर्ट में दिया गया है, लघु हस्ताक्षर लागू नहीं है) श्री □ श्रीमती □ कुमारी □ (कृपया निशान लगाएं)

नाम (प्रथम और मध्य नाम)*

□□□□□□□□□□□□□□□□

फ्लेट संख्या/ यूनिट संख्या, ब्लॉक संख्या*

□□□

जिस शहर में बैंक स्थित है* □□□□□□□□□□ पिन कोड □□□□□□ बैंक एमआईसीआर कोड □□□□□□□□□
बैंक शाखा आईएफएससी* □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड)

नामिती संबंधी ब्यौरा

17. उपभोक्ता का नामिती संबंधी ब्यौरा* : (कम से कम एक नामिती अनिवार्य है)

पहला नामिती:

पहला नाम □□□□□□□□□□□□□□□□□□

अंतिम नाम □□□□

मैं..... उपभोक्ता, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) को समझ लिया है। मैं इस योजना के निबंधन व शर्तों का पालन करने पर सहमत हूं और मैंने यह भी समझ लिया है कि-

1. तीनों योजनाओं- एलआईसी, यूटीआई-एमआईएस और एनपीएस लाइट में पंजीकरण अनिवार्य है। यदि इस योजना साझेदारों में से किसी से भी पंजीकरण को रद्द किया जाता है तो एमजीपीएसवाई में अंशदान का रद्द कर दिया जाएगा और पैसे वापस कर दिए जाएंगे।

2. एमजीपीएसवाई के अंतर्गत पेंशन निधि (एनपीएस लाइट) में मेरे अंशदान का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) द्वारा किया जाएगा जिसकी नियुक्ति और विनियमन पेंशन निधि विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया गया है।

3. वापसी और पुनर्वास (आर एंड आर) हेतु मेरे अंशदान का प्रबंधन यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (यूटीआईएएमसी) द्वारा किया जाएगा और इसका निवेश मिश्रित लिखत आस्तियों में किया जाएगा जो प्रत्येक मामले में निर्धारित निवेश विनियम के अनुसार सरकारी और कार्पोरेट बांड से लेकर ईक्विटी तक होगा। ईक्विटी लिखतों के साथ संबद्ध परिवर्तनशील वापसी को देखते हुए इस बचत पर वापसी और इसके मान में कमी और वृद्धि हो सकती है और मुझे कोई गारंटी अथवा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है।

4. पेंशन निधि प्रबंधन (एफपीएम) अथवा यूटीआईएएमसी अथवा इस निधि का पूर्व कार्यनिष्पादन इसके भावी कार्यनिष्पादन की गारंटी नहीं देता है।

5. मुझे एमजीपीएसवाई में केवल सक्रिय उपभोक्ता रहते हुए ही भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा चलायी जा रही जनश्री बीमा योजना (जेबीएम) के अंतर्गत निशुल्क जीवन बीमा कवरेज का लाभ प्राप्त होगा।

6. एमजीपीएसवाई के अंतर्गत भावी योजना भागीदारों/ उत्पाद स्वामियों से उपभोक्ताओं हेतु पृथक निबंधन व शर्तें होगी । मैं उक्त निबंधन व शर्तों के प्रति आबद्ध होने के प्रति सहमत हूं और मैं यह समझता हूं कि हस्ताक्षर की जा रही नई घोषणा/ परिवचन के बिना पूर्णत: या अंशत: इसे संशोधित किया जा सकता है।

7. एनपीएस लाइट और यूटीआई एमआईएस की घोषणाएं इस विशेष प्रणाली जनित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दिया जाएगा।

8. पासपोर्ट, वीजा और बैंक ब्यौरे की प्रतियां एवं तीन रंगीन फोटो आवश्यक हैं अन्यथा इस प्रपत्र को निरस्त कर दिया जाएगा।

9. यदि आवेदक एनआरआई है तो विदेश स्थित पता का प्रमाण अनिवार्य है।

10. प्रथम नामिती को एलआईसी के नामिती के रूप में माना जाएगा।

11. मैं एतदद्वारा, यह घोषणा करता हूं/ करती हूं कि उपर्युक्त दी गयी सूचना सत्य है और यह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार है।

<u>एनपीएस की निबंधन व शर्तें</u>

घोषणा और अधिकार

मैं, एतदद्वारा, घोषणा करता हूं/ करती हूं और सहमत हूं कि (क) मैंने आफर संबंधी दस्तावेजों, निबंधन व शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है अथवा मुझे समझा दिया गया है और इसमें दिए गए उत्तर मेरे हैं; (ख) मैं भारत का नागरिक हूं; (ग) मुझे किसी भी समय किसी कानून के तहत मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित नहीं किया गया है; (घ) मुझे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है; (ड.) मेरा एनपीएस के अंतर्गत कोई पूर्व खाता नहीं है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत घोषणा

मैं, एतदद्वारा, घोषणा करता हूं/ करती हूं कि-

1. देय अंशदान कानूनी रूप से घोषित और आकलित आय स्रोत से लिया गया है।

2. मैं समझता हूं/ समझती हूं कि पीएफआरडीए / एनपीएस न्यास को मेरे वित्तीय संविभाग की जांच का अधिकार है और इससे सहमत हूं कि पीएफआरडीए / एनपीएस न्यास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सक्षम विधिक न्यायालय जिसका देश में धन शोधन निवारण हेतु नियंत्रण कानून का संबंध है द्वारा पारित किसी कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर एनपीएस खातों को बंद करने का अधिकार है।

मैंने स्वालंबन दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और मैं इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं/ करती हूं। मैं न्यूनतम 1000 और अधिकतम 12000 रूपए की निर्धारित अंशदान सीमा का पालन भी करूंगा/ करूंगी, जिसमें असफल रहने पर मेरे खाते में केन्द्र सरकार के अंशदान को निर्धारित ब्याज दरों के साथ जब्त किया जा सकता है।

<u>यूटीआई की निबंधन व शर्तें</u>

आवेदक की घोषणा और हस्ताक्षर

मैंने आज तक की तिथि के अनुसार जारी परिशिष्ट में दी गयी योजना संबंधी सूचना दस्तावेज, अतिरिक्त सूचना विवरण और मुख्य सूचना ज्ञापन, जो उपर्युक्त के अनुसार यूटीआई म्युचुअल फंड के न्यास पर लागू होता है, के विषय वस्तु को पढ़ कर समझ लिया है। मैं निवेश की तिथि के अनुसार इस योजना के निबंधन व शर्तों, नियमों और विनियमों के पालन के प्रति सहमत हूं। मैं इसकी पुष्टि करता हूं/ करती हूं कि जहां तक सभी संगत दस्तावेज और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाएं संबंधित हैं, उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा इस निवेश को विधिवत रूप से प्राधिकृत कर दिया गया है।

मुझे इस निवेश के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई छूट या उपहार प्राप्त नहीं हुआ है या इसके लिए प्रेरित किया गया है।

मैं, एतदद्वारा, यूटीआई एमएफ / यूटीआई एएमसी को प्राधिकृत करता हूं कि वह सेवा प्रदान करने, खाता संबंधी विवरण/ समेकित खाता विवरण आदि जारी करने और यूटीआई एमएफ के उत्पादों / योजनाओं के क्रास सेलिंग के उद्देश्य हेतु यूटीआई एमएफ के मेरे वितरणकर्ता और अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रपत्र में मेरे द्वारा दिए गए विवरणों को साझा करे।

एआरएन धारक ने सभी कमीशनों (ट्रेल कमीशन और अन्य किसी रूप में) के बारे मुझे बता दिया है जो विभिन्न म्युचुअल फंड योजनाओं के बीच विभिन्न प्रतिस्पर्धा के लिए उसे देय है जिनमें से मुझे /हमें उक्त योजना की संस्तुति की जा रही है।

मैं इसकी पुष्टि करता हूं/ करती हूं कि मैं अनिवासी भारतीय हूं / भारतीय मूल का हूं और कि इस निधि का विप्रेषण मेरे/ हमारे एनआरई/ एनआरओ खाते से अनुमोदित बैंकिंग माध्यमों से विदेश से किया गया है। मैं यूटीआई म्युचुअल फंड द्वारा मांगे जाने पर (केवल एनआरआई हेतु लागू) फंड के स्रोत और इस प्रकार के अन्य संगत दस्तावेजों का विवरण प्रदान करने का वचन देता हूं/ देती हूं।

मैं/ हम, एतदद्वारा, इसकी पुष्टि करता हूं/ करते हैं कि ईयूआईएन खाने को मेरे/ हमारे द्वारा जानबूझ कर छोड़ दिया गया है क्योंकि यह 'केवल कार्यान्वयन' लेने देन के लिए है जो उपर्युक्त वितरक के कर्मचारी/ संपर्क प्रबंधक/ बिक्री कर्मी द्वारा प्रदत्त परस्पर संवाद अथवा सलाह के बिना है अथवा अनुपयुक्त सलाह यदि कोई हो के होते हुए भी वितरक के कर्मचारी/ सपंर्क प्रबंधक / बिक्री कर्मी और वितरक ने इस लेनदेन के लिए कोई परामर्श शुल्क नहीं प्रभारित किया है।

स्थान .....

तिथि:.....

.....

उपभोक्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

एनपीएस -लाइट प्रपत्र

घोषणा और अधिकार

मैं, एतदद्वारा, घोषणा करता हूं/ करती हूं और सहमत हूं कि (क) मैंने आफर संबंधी दस्तावेजों, निबंधन व शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है अथवा मुझे समझा दिया गया है और इसमें दिए गए उत्तर मेरे हैं; (ख) मैं भारत का नागरिक हूं; (ग) मुझे किसी भी समय किसी कानून के तहत मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित नहीं किया गया है; (घ) मुझे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है; (ड.) मेरा एनपीएस के अंतर्गत कोई पूर्व खाता नहीं है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत घोषणा

मैं, एतदद्वारा, घोषणा करता हूं/ करती हूं कि-

1. देय अंशदान कानूनी रूप से घोषित और आकलित आय स्रोत से लिया गया है।

2. मैं समझता हूं/ समझती हूं कि पीएफआरडीए / एनपीएस न्यास को मेरे वित्तीय संविभाग की जांच का अधिकार है और इससे सहमत हूं कि पीएफआरडीए / एनपीएस न्यास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सक्षम विधिक न्यायालय जिसका देश में धन शोधन निवारण हेतु नियंत्रण कानून का संबंध है द्वारा पारित किसी कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर एनपीएस खातों को बंद करने का अधिकार है।

3. मैंने स्वालंबन दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और मैं इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं/ करती हूं। मैं न्यूनतम 1000 और अधिकतम 12000 रूपए की निर्धारित अंशदान सीमा का पालन भी करूंगा/ करूंगी, जिसमें असफल रहने पर मेरे खाते में केन्द्र सरकार के अंशदान को निर्धारित ब्याज दरों के साथ जब्त किया जा सकता है।

मैं, ..., आवेदक , एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करती हूं कि उपर्युक्त दी गयी सूचना सत्य है और मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार है। दिनांक: □□□□□□□□ (दिन/ महीना/ वर्ष)	उपभोक्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान*

संग्रहकर्ता कार्यालय द्वारा अनुमति (एनएल-एओ):

प्रमाणित किया जाता है कि उपभोक्ता संग्रहकर्ता के पास पंजीकृत है और उसने एनपीएस के साथ जुड़ने का विकल्प चुना है। मैं, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/ करती हूं कि उपभोक्ता एनपीएस में शामिल होने का पात्र है और उपर्युक्त घोषणा पर ..... उसके द्वारा इन प्रविष्टियों को पढ़ने के पश्चात मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया है/ अंगूठे का निशान लगाया गया है।

....

(संग्रहकर्ता का रबर स्टाम्प) (प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

संग्रहकर्ता का नाम:

एनपीएस- लाइट खाता कार्यालय (एनएल- एओ) पंजीकरण संख्या □□□□□□□□

दिनांक ...../...../.....	स्थान.....
एनपीएस लाइट - संग्रह केन्द्र (एनएल- सीसी) पंजीकरण संख्या: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	

इस प्रपत्र को भरने हेतु निर्देश

(क) इस प्रपत्र को बड़े अक्षरों (केवल अंग्रेजी) और केवल काली स्याही से भरा जाएगा। कृपया इस प्रपत्र को सुपाठ्य हस्तलिपि में भरें ताकि आपकी आवेदन प्रक्रिया में त्रुटियों से बचा जा सके। रद्दीकरण और पुनर्लेखन से इसमें सुधार किया जाना चाहिए और ऐसी त्रुटि सुधार पर आवेदक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाए।

(ख) जहां कहीं भी खाने दिए गए हैं, उनमें केवल एक अक्षर होने चाहिए (अक्षर/ संख्या/ विराम चिह्न) और प्रत्येक शब्द के बाद एक खाने को छोड़ना अनिवार्य है।

(ग) उपभोक्ता प्रपत्र में दिए गए खाली स्थान पर अपने हाल के खींचे गए रंगीन फोटो (3.5x 2.5सेमी) चिपकाएं। फोटो को प्रपत्र के साथ स्पेल या क्लिप न करें। (पीआरएएन कार्ड पर फोटो की स्पष्टता प्रपत्र में चिपकाए गए फोटो की गुणवत्ता और स्पष्टता पर निर्भर करेगा।)

(घ) प्रपत्र में दिए गए खाली स्थान में ही हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान लगाएं (पुरूष के मामले में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और महिला के मामले में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान)। उपभोक्ता फाटो पर आर पार हस्ताक्षर न करें। यदि फोटो पर कोई निशान हो जो उपभोक्ता के चेहरे की स्पष्टता दृश्यता में बाधा उत्पन्न करता हो तो इस आवेदन प्रपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ड.) यदि अनिवार्य खानों को नहीं भरा गया है अथवा आवेदन प्रपत्र अधूरा है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा।

(च) उपभोक्ता के अंगूठे के निशान को प्रपत्र लेने वाले संग्रहकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(छ) उपभोक्ता द्वारा चयनित पेंशन निधि प्रबंधक के माध्यम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु निर्धारित निवेश मानदंड के अनुसार निवेश किया जाएगा।

(ज) उपभोक्ता के पास केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू योजना को चुनने का भी विकल्प होगा (एनपीएस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शामिल)। एनपीएस न्यास / पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित अनुपात में तीन पीएफएम (एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी) में निवेश किया जाएगा।

(झ) उपभोक्ता के नामिती संबंधी ब्यौरे में प्रतिशत हिस्सेदारी:

1) उपभोक्ता अधिकतम तीन नामितियों को नामित कर सकता है/ सकती है।

2) उपभोक्ता एक ही नामिती के ब्यौरे को एक से अधिक बार नहीं भर सकता है।

3) सभी नामितियों की प्रतिशत हिस्सेदारी मान पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। नामितियों हेतु हिस्सेदारी में दशमलव / भिन्न मान संख्या को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4) सभी नामितियों हेतु प्रतिशत हिस्सेदारी मान 100 के बराबर होना चाहिए। यदि इस प्रतिशत का योग 100 के बराबर नहीं है तो समग्र नामिति हिस्सेदारी को रद्द कर दिया जाएगा।

नामिति के अभिभावक का ब्यौरा:

5) यदि नामिति अल्पवय है तो उसके अभिभावक का ब्यौरा अनिवार्य रूप से भरा जाएगा।

उपभोक्ताओं हेतु सामान्य सूचनाएं

(क) उपभोक्ता अपने संग्रहकर्ता से अपने आवेदन प्रपत्र की स्थिति की जानकारी ले सकता/ सकती है।

(ख) अधिक सूचना के लिए http://www.npscra.nsdl.co.in पर जाएं अथवा हमें 022- 2499 4200 पर संपर्क करें अथवा info.cra@nsdl.co.in पर ईमेल करें अथवा केन्द्रीय अभिलेखपाल एजेंसी, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोउर परेल (पश्चिम), मुम्बई 400013 पर पत्राचार करें।

यूटीआई प्रपत्र

आवेदक की घोषणा और हस्ताक्षर

मैंने आज तक की तिथि के अनुसार जारी परिशिष्ट में दी गयी योजना संबंधी सूचना दस्तावेज, अतिरिक्त सूचना विवरण और मुख्य सूचना ज्ञापन, जो उपर्युक्त के अनुसार यूटीआई म्युचुअल फंड के न्यास पर लागू होता है, के विषय वस्तु को पढ़ कर समझ लिया है। मैं निवेश की तिथि के अनुसार इस योजना के निबंधन व शर्तों, नियमों और विनियमों के पालन के प्रति सहमत हूं। मैं इसकी पुष्टि करता हूं/ करती हूं कि जहां तक सभी संगत दस्तावेज और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाएं संबंधित हैं, उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा इस निवेश को विधिवत रूप से प्राधिकृत कर दिया गया है।

मुझे इस निवेश के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई छूट या उपहार प्राप्त नहीं हुआ है या इसके लिए प्रेरित किया गया है।

मैं, एतदद्वारा, यूटीआई एमएफ / यूटीआई एएमसी को प्राधिकृत करता हूं कि वह सेवा प्रदान करने, खाता संबंधी विवरण/ समेकित खाता विवरण आदि जारी करने और यूटीआई एमएफ के उत्पादों / योजनाओं के क्रास सेलिंग के उद्देश्य हेतु यूटीआई एमएफ के मेरे वितरणकर्ता और अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रपत्र में मेरे द्वारा दिए गए विवरणों को साझा करे।

एआरएन धारक ने सभी कमीशनों (ट्रेल कमीशन और अन्य किसी रूप में) के बारे मुझे बता दिया है जो विभिन्न म्युचुअल फंड योजनाओं के बीच विभिन्न प्रतिस्पर्धा के लिए उसे देय है जिनमें से मुझे /हमें उक्त योजना की संस्तुति की जा रही है।

मैं इसकी पुष्टि करता हूं/ करती हूं कि मैं अनिवासी भारतीय हूं / भारतीय मूल का हूं और कि इस निधि का विप्रेषण मेरे/ हमारे एनआरई/ एनआरओ खाते से अनुमोदित बैंकिंग माध्यमों से विदेश से किया गया है। मैं यूटीआई म्युचुअल फंड द्वारा मांगे जाने पर (केवल एनआरआई हेतु लागू) फंड के स्रोत और इस प्रकार के अन्य संगत दस्तावेजों का विवरण प्रदान करने का वचन देता हूं/ देती हूं।

□ मैं/ हम, एतदद्वारा, इसकी पुष्टि करता हूं/ करते हैं कि ईयूआईएन खाने को मेरे/ हमारे द्वारा जानबूझ कर छोड़ दिया गया है क्योंकि यह 'केवल कार्यान्वयन' लेने देन के लिए है जो उपर्युक्त वितरक के कर्मचारी/ संपर्क प्रबंधक/ बिक्री कर्मी द्वारा प्रदत्त परस्पर संवाद अथवा सलाह के बिना है अथवा अनुपयुक्त सलाह यदि कोई हो के होते हुए भी वितरक के कर्मचारी/ सपंर्क प्रबंधक / बिक्री कर्मी और वितरक ने इस लेनदेन के लिए कोई परामर्श शुल्क नहीं प्रभारित किया है।

नामिति का पता*:

पहला नामिति

□□□

तीसरा नामिति

□□□

यूजर कंपनी नाम

और यूजर कंपनी का पता

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (नामे) समाशोधन/ प्रत्यक्ष नामे

यूआई कोड ..... अधिदेशित संदर्भ संख्या .....

प्रबंधक,

बैंक का नाम .....

शाखा का नाम .....

पता .....

मैं, एततद्वारा, निम्नलिखित दिए गए ब्यौरे के अनुसार ईसीएस (नामे) समाशोधन/ प्रत्यक्ष नामे के माध्यम से एमजीपीएसवाई को भुगतान करने के लिए अपने खाते से नामे करने के लिए आपको प्राधिकृत करता हूं।

भुगतान का तरीका (कृपया चिह्न लगाएं) ईसीएस □ प्रत्यक्ष नामे □

एमआईसीआर - बैंक और उसकी शाखा की 9 अंक कोड वाली संख्या

(बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर लिखा गया): .....

खाते का प्रकार - एनआरओ □ एनआरई: □

खाता बही संख्या/ खाता बही फोलियो संख्या ..... (खाली छोड़ दें).....

खाता संख्या .....

क. खाता धारक का नाम (बैंक रिकार्ड के अनुसार) .....

ग्राहक संदर्भ संख्या जिसे एमजीपीएसवाई द्वारा समनुदेशित किया गया है	योजना का नाम	प्रभावी तिथि	आवधिकता (मासिक/ द्विमासिक/ त्रैमासिक आदि)	राशि (अधिकतम सीमा रूपए में)	इस तिथि तक अधिदेशित (अंतिम तिथि)

ख. प्रभावी तिथि:

मैं/ हम एततद्वारा घोषणा करता हू/ करती हूं/ करते हैं कि उपर्युक्त विवरण सही और पूर्ण है। यदि लेन देन में देरी होती है अथवा अपूर्ण अथवा गलत सूचना के कारण प्रभावी नहीं होता है, तो मैं/हम यूजर संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराउंगा/ ठहराउंगी/ ठहरायेंगे। मैंने विकल्प आमंत्रण पत्र को पढ़ लिया है और इस योजना के अंतर्गत एक भागीदार के रूप में मुझसे की जानी वाली जिम्मेदारी संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने पर सहमत हूं। यह सूचित किया जाता है कि मैंने / हमने आरबीआई की इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (नामे समाशोधन)/ प्रत्यक्ष नामे/ स्थायी अनुदेश के लिए पंजीकरण किया है और कि एमजीपीएसवाई में मेरे ऋण / निवेश के लिए भुगतान आपके बैंक में खोले गए मेरे खाते, जिसका विवरण उपर दिया गया है, से किया जाएगा। मैं/ हम इस ईसीएस (नामे समाशोधन/ प्रत्यक्ष

नामे/ स्थायी अनुदेश) का कार्य करने के लिए टेक प्रोसेस सोल्यूशन लिमिटेड को प्राधिकृत करता हूं कि वह अधिदेश प्रपत्र की जांच करें और इसे कार्यान्वित करें। मैं/ हम बैंक को अधिदेश सत्यापन और 'अपर्याप्त निधि' जैसा कि लागू है, के कारण बाउंस हुए लेन देन के लिए प्रभार हेतु अपने खाते से नामे करने के लिए भी प्राधिकृत करता हूं।

मैं एततद्वारा यह घोषणा करता हूं/ करती हूं कि इस प्रपत्र में दिया गया विवरण सही और पूर्ण है। और मैंने इसे समझ लिया है तथा सहमत हूं कि :

1. महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) में मेरे नामांकन के संबंध में प्रीमियम का भुगतान एमजीपीएसवाई से प्रस्ताव प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गयी सहमति पर आवधिक रूप से उपुर्यक्त रूप में मेरे बैंक खाते से लिया जाएगा। प्रीमियम के प्रभार में अंतर में जिस राशि को डेबिट किया जाएगा वह ऐसा प्रीमियम होगा जो लागू होगा, यह आज तक की स्थिति तक मेरे द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम से भिन्न हो सकता है। मैं सहमत हूं और स्वीकार करता हूं कि किसी नए अधिकार की आवश्यकता नहीं है और यह नहीं लिया जाएगा।

2. यदि प्रीमियम रद्द हो जाता है तो बाद के किस्त अथवा अगले महीने में इसे काटा जा सकता है।

मैं एततद्वारा यह भी अनुदेश देता हूं/ देती हूं कि एनआरआई के रूप में मेरी स्थिति में बदलाव होने पर मेरे बचत बैंक खाते को एनआरओ खाते में परिवर्तित किया जाए।

दिनांक खाताधारक का हस्ताक्षर (बैंक रिकार्ड के अनुसार)

.....

.....

केवल बैंक के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि खाताधारकों के बैंक खातों के ब्यौरे और हस्ताक्षर सही हैं और ये बैंक के रिकार्ड के अनुसार है।

दिनांक ....

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

(नोट: तीन प्रतियों में अधिदेश प्राप्त किया जाए, मूल प्रति बैंक के लिए, एक यूजर कंपनी के लिए और तीसरा ग्राहक के लिए)

एसआई आदेश प्रपत्र

यूजर कंपनी के नाम की प्रति: मैं एततद्वार आपको प्राधिकृत करता हूं/ करती हूं कि आप निम्नलिखत दिए गए ब्यौरे के अनुसार भुगतान हेतु मेरे खाते से नामे करें।

पता: क. खाताधारक का नाम

ख. बैंक और इसकी शाखा की 9 अंकों वाली कोड संख्या

(बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर लिखा गया कोड)

ग. खाते का प्रकार: (एनआरई/ एनआरओ):.....

घ. खाता बही संख्या/ खाता बही फोलियो संख्या.....

ड. खाता संख्या:

(कृपया एमआईसीआर कोड, लेनदेन कोड, खाता संख्या एवं हस्ताक्षर की सत्यता की जांच करने के लिए बैंक द्वारा जारी चेक या बैंक के रद्द किए गए चेक की फोटो प्रति संलग्न करें)

योजना का नाम (उत्पाद)	प्रभावी तिथि		आवधिकता	राशि (अधिकतम सीमा रूपए में)	खाते में जमा करना	जिस खाते में जमा किया जाना है उसका ब्यौरा
	से	तक				
एमजीपीएसवाई					बैंक आफ बड़ौदा	

च. प्रभावी तिथि:

मैं एततद्वारा, घोषणा करता हूं/ करती हूं कि उपर्युक्त दिया गया विवरण सत्य एवं पूर्ण है। यदि लेनदेन में देरी होती है अथवा अपूर्ण और असत्य सूचना के कारण प्रभावी नहीं हुआ है, तो मैं यूजर संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराउंगा/ ठहराउंगी। मैंने विकल्प आमंत्रण पत्र को पढ़ लिया है और इस योजना के अंतर्गत भागीदार के रूप में मुझसे जिन जिम्मेदारियों के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है, उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूं।

मैं एततद्वारा यह भी अनुदेश देता हूं/ देती हूं कि एनआरआई के रूप में मेरी स्थिति में बदलाव होने पर मेरे बचत बैंक खाते को एनआरओ खाते में परिवर्तित किया जाए।

दिनांक: .....

(उपभोक्ता का हस्ताक्षर)

(बैंक का मुहर) बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

(नोट: तीन प्रतियों में अधिदेश प्राप्त किया जाए, मूल प्रति बैंक के लिए, एक यूजर कंपनी के लिए और तीसरा ग्राहक के लिए)

मानक दिशानिर्देश

1. इस ऑफलाइन प्रपत्र का उपयोग प्रणाली सृजित प्रपत्रों के साथ किया जाना होता है। इस प्रपत्र में दी गयी सभी सूचनाओं को इस प्रणाली में अपलोड किए जाने की आवश्यकता है।

2. इस प्रणाली द्वारा सृजित पीएलआईएफ संख्या को इस प्रपत्र में अद्यतन किया जाए (पृष्ठ संख्या 1 पर)

3. स्वागत किट के साथ एमजीपीएसवाई कार्ड को उपभोक्ता के पत्राचार के पते पर भेजा जाना होता है (खाना संख्या 12 में दी गयी सूचना के अनुसार)।

4. यह अनिवार्य है कि सभी नामितियों के पते लिखे जाएं - पृष्ठ संख्या 7 (यूटीआई हेतु घोषणा)

5. प्रणाली जनित प्रपत्रों के साथ आफलाइन प्रपत्र को संलग्न करना:

क. इस प्रपत्र की पृष्ठ संख्या 6 (एनपीएस लाइट के लिए घोषणा और अधिकार) को सीआरए एफसी को भेजे जाने से पूर्व प्रणाली जनित एनपीएस लाइट प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना होता है। रिकार्ड रखने के उद्देश्य से इसे भेजने और शेष प्रपत्र के साथ इसे संलग्न करने से पूर्व इसके प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति लें।

ख. इस प्रपत्र की पृष्ठ संख्या 7 (यूटीआई के लिए घोषणा) को यूटीआई एमएफ को भेजे जाने से पूर्व प्रणाली जनित यूटीआई प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाए।

ग. पृष्ठ संख्या 8/9 (ईएससी/ एसआई अधिदेश) को बैंकिंग साझेदार को भेजना जाना होता है। पृष्ठ संख्या 8/9 (ईएससी/ एसआई अधिदेश) की एक प्रति इसे यूटीआई एमएफ को भेजे जाने से पूर्व प्रणाली जनित यूटीआई प्रपत्र के साथ संलग्न करें। रिकार्ड में रखने के लिए इसे भेजने से पूर्व संगत पृष्ठों की छायाप्रति रखें।